मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

चतुर्थ तल, खण्ड-3, पर्यावास भवन, मदर टेरेसा मार्ग, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (म.प्र.)

☎ (का.) 0755-2551805, फैक्स : 0755-2556065

ई-मेल : mphousing@email.com

एस.के.मेहर
अपर आयुक्त

अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक /तक./2018
भोपाल, दिनांक /11/2018

विषयः– वार्षिक योजना वर्ष 2019–20

प्रिय श्री

1. म.प्र.गृह निर्माण मण्डल (संशोधित) अधिनियम 1972 की धारा–35 सहपठित मण्डल विनियम – 2015 के अनुभराग–6 उप अनुभाग–ए के बिन्दु क्रमांक–1 के अंतर्गत वर्ष 2019–20 के लिये वार्षिक योजना की स्वीकृति मण्डल से प्राप्त की जाना है। विदित हो कि मण्डल विनियम अनुभाग–6, उप अनुभाग–ए के बिन्दु क्रमांक–4 अनुसार स्वीकृत वार्षिक योजना में अंकित योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर प्रशासकीय अनुमोदन आयुक्त महोदय द्वारा प्रदान किया जाता है।

2. उपर्युक्त बिन्दुओं के तारतम्य में वर्ष 2019–20 की वार्षिक योजना प्रस्तुतीकरण हेतु प्रपत्र संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि वृत्त की वार्षिक योजना वर्ष 2019–20 की जानकारी 31 दिसम्बर 2018 के पूर्व मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें, जिससे संचालक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकें।

3. वार्षिक योजना प्रस्ताव में प्रत्येक योजना हेतु एक पृष्ठ की संक्षिप्त टीप भी संलग्न करें जिसमें योजना से संबंधित जानकारी, संभावित मांग आदि विवरण की टीप हो।

4. आपका ध्यान विशेष रूप से इस बिन्दु की ओर आकर्षिक किया जाता है कि गत वर्ष की वार्षिक योजना वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 अंतर्गत योजनाओं की जानकारी का सही प्रस्तुतीकरण ना होने से परियोजनाओं के प्रकरण पृथक रूप से प्रशासकीय अनुमोदन हेतु संचालक मण्डल के समक्ष रखने पड़े जिससे योजना क्रियान्वयन में विलंब की स्थिति निर्मित हुई, अतः निर्देशित किया जाता है कि योजनाओं का सही आंकलन किया जाना सुनिश्चित करें।

5. संलग्न प्रत्रों में जानकारी अंकित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जिन योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाना हो उनका सही–सही एवं स्पष्ट विवरण दिया जाए जिससे वार्षिक योजना वर्ष 2019–20 के मण्डल से अनुमोदन उपरान्त प्रशासकीय अनुमोदन आयुक्त से प्राप्त किया जा सके। उल्लेखनीय है कि मण्डल के बजट में वे ही योजनायें सम्मिलित होगी जिनका वार्षिक कार्यक्रम में अनुमोदन प्राप्त हुआ हो अर्थत बजट हेतु वार्षिक कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित योजनाओं में भिन्नता न हो।

6. वार्षिक योजना वर्ष 2019–20 प्रस्तुत करते समय गहन समीक्षा करने के उपरान्त सही विवरण समयावधि में प्रदान किया जाए अन्यथा योजनाओं के आंकलन में शिथिलता दृष्टिगत होने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस.के.मेहर)

प्रति,

उपायुक्त,
म.प्र.गृह निमार्ण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल वृत्त, ...

पृ. क्रमांक 992/तक.शा./2018
प्रतिलिपिः–

भोपाल,दिनांक 14/11/2018

1. निज सचिव आयुक्त, म.प्र.गृह नि. एवं अधो.विकास मण्डल मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य आई.टी.अधिकारी, म.प्र.गृह नि. एवं अधो.विकास मण्डल मुख्यालय, भोपाल । कृपया प्रपत्र मण्डल वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार ।

14.11.18

अपर आयुक्त–1,
म.प्र.गृह निमार्ण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल